आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/2/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 86/2011** **बिरेन्द्र सिंह बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 19633/2011 निशिकान्त प्रकाश बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.11.2011 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 1403/आ0 दिनांक 21.10.2011 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि श्री वीरेन्द्र सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत–बरेजा, प्रखंड–मांझी की दूकान की जॉच प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मांझी द्वारा की गयी थी। उनके प्रस्तुत प्रतिवेदन द्वारा निम्नलिखित अनियमिततताएँ प्रतिवेदित की गयी थी: 1. विक्रेता द्वारा माह जनवरी 2011 का 213 कूपन, माह फरवरी 2011 एवं माह मार्च, 2011 का एक भी किरासन तेल का कूपन विक्रेता द्वारा जमा नहीं किया गया था, जबकि विक्रेता को 264 कूपन पर किरासन तेल का आवंटन प्राप्त होता है। 2. विक्रेता द्वारा अन्त्योदय योजना का माह जनवरी 2011 में 49 कूपन जमा किया गया है तथा माह फरवरी एवं मार्च का कोई कूपन नहीं जमा किया, जबकि प्रत्येक माह विक्रेता को 53 कूपन पर अन्त्योदय खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता है। 3. बी0पी0एल0 खाद्यान्न का माह जनवरी 2011 का 64 तथा फरवरी 2011 का एक भी कूपन विक्रेता द्वारा जमा नहीं कराया गया है, जबकि विक्रेता को 90 कूपन पर आवंटन प्राप्त होता है। 4. विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है	

तथा अधिक पैसा लिया जाता है।

उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा ने विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की थी। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया तथा उक्त अनियमितता को प्रथम दृष्टया सही पाकर विरेन्द्र सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति सं0 124/07 को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक माह सभी सम्बद्ध उपभोक्ताओं को कूपन के आधार पर निर्धारित मात्रा, उचित मूल्य एवं सही माप–तौल से किरासन तेल की आपूर्त्ति की जाती थी तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपनों को विभाग में जमा कर दिया जाता था, जिसके आधार पर ही अगले माह का किरासन तेल का आवंटन प्राप्त होता था। माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च का कूपन जो उपभोक्ताओं से प्राप्त हुआ था, उसे विभाग में जमा कर दिया गया था। कंडिका 2 के संदर्भ में बतलाया कि अन्त्योदय योजना का माह जनवरी एवं फरवरी, 2011 का कूपन भी खाद्यान्न आपूर्त्ति करने के पश्चात् विभाग में जमा कर दिया गया था एवं मार्च, 2011 में अन्त्योदय एव बी.पी.एल. का खाद्यान्न का उठाव ही नहीं किया गया था। माह मार्च 2011 में अन्त्योदय एव बी.पी.एल. के खाद्यान्न उठाव करने हेतु अपीलकर्त्ता को एडवाइस नहीं दिया गया था, जिसके कारण उक्त माह में खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ, जिसके कारण मार्च 2011 का कूपन जमा नहीं किया जा सका था। कंडिका 3 के संदर्भ में बतलाया कि विभाग से कुछ उपभोक्ताओं को कूपन की आपूर्त्ति नहीं की गई थी, परन्तु जिन्हें विभाग द्वारा कूपन नहीं प्राप्त हुआ था, उन्हें विभाग से निर्गत सूची के आधार पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्त्ति राजनैतिक एवं मुखिया के दबाव पर आपूर्त्ति की जाती थी, जिसके कारण जिन उपभोक्ताओं से कूपन प्राप्त हुआ उन्हें आपूर्त्ति की गयी तथा जिन्हें बिना कूपन के अर्थात् सूची के आधार पर खाद्यान्न की आपूर्त्ति की गयी है, उनका कूपन नहीं प्राप्त होने के कारण जमा नहीं किया जा सका था। कंडिका 4 के संदर्भ में बतलाया कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में, निर्धारित मूल्य पर तथा सही माप–तौल से खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्त्ति की जाती थी। विवरण वितरण पंजी पर उन उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लिया जाता था। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल रखने हेतु अनुरोध किया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का

परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, ~~सोनपुर~~ सदर, छपरा द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 140/न्या० दिनांक 20/3/14
प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा / NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
19/3/14